न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर राज.

अध्यासित द्वारा :— ओमप्रकाश सहारण , आर.ए.एस.

मु.न.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
203 / 21	28.12.2021	12.01.2022

उनवान

1. पोहपसिह पुत्र कुन्दनलाल जाति अहीर निवासी खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर
2. रामनिवास यादव पुत्र कुन्दनलाल
3. सुरेश कुमार यादव पुत्र कुन्दनलाल
4. रोशनी पुत्री कुन्दनलाल
5. शकुन्तला पुत्री कुन्दनलाल
6. कृष्णा पुत्री कुन्दनलाल
7. शान्ति पत्नि कुन्दनलाल जाति अहीर निवासी खैरथल तहसील किशगनढबास जिला अलवर राज.

:—वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर किशनगढबास जिला अलवर राज.

:— प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012

....

उपस्थिति :—

1. लेखराम वकील वादी की और से ।
2- प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार ।

—: निर्णय :—

वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है:—
वकील वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि यह है कि साबिक खसरा नम्बर 783 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1375/4474 वाके हुसैनपुर तहसील किशनगढबास से पैमूद हुआ है जो आराजी प्रस्तुत वाद मे विवादित आराजी कहलायेगी। साबिक खसरा नम्बर 783 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा सम्वत 2009 मे वास्ते काश्त पिता वादी को पटटे पर मिली थी जो अस्थाई तौर पर दी गई थी जमाबन्दी सम्वत 2009 मे पिता वादीगण के नाम पटटेदारी का अंकन हो रहा है इसी प्रकार सम्वत 2013 मे पिता वादी के नाम पटटेदारी का अंकन हो रहा है जिससे साबित है कि यह आराजी पिता वादी को अलौट न होकर वास्ते काश्त अस्थाई पटटे पर दी गई थी जिस पिता वादी अपने जीवनकाल मे काबिज काश्त रहा तथा उनके पश्चात मिन वादी काबिज काश्त है।

भू .प्रबन्ध सम्वत 2029 मे हाल खसरा नम्बर पैमूद करते हुए वीद को गैर खातेदार पटटेदार अंकित कर दिया जो अमल ताहला जामबन्दीया तमे बदस्तुर चला आ रहा है। आराजी विवादित निष्क्रान्त कृषि भूमि है जिस पर वादी के पिता बदस्तुर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा उनके पश्चात मिन वादी काबिज काश्त है इसलिए वादीगण अपना कब्जा घोषित कराकर नियमानुसार राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 मे उल्लेखित प्रावधानो के अनुसार कीमत भूमि जमा कोष कराकर हकूक खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

अतः बाद तहकीकात वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावे :—

अ— डिकी इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज इस अमर की पारित की जावे कि आराजी खसरा नम्बर 1375/4474 रकबा 0.27 हे. वाके ग्राम हुसैनपुर तहसील किशनगढबास पर

वादी का कब्जा घोषित किया जाकर वादी को राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 मे उल्लेखित प्रावधानो के अनुसार कीमत भूमि जमा कोष कराई जाकर सनद खातेदारी प्रदान की जावे।

ब– डिक्री दुरूस्ती इन्द्राज इस अमर की पारित की जावे कि हाल जमाबन्दी मे पिता वादी को गैरखातेदार दर्ज किया हुआ है जो हजफ किया जाकर खातेदार दर्ज किया जावे।

स– दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत श्रीमान हो अता फरमाई जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किये गये। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का अवलोकन किया। वकील वादीगण द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार हकूक खातेदारी प्राप्त करने निवेदन किया है।

हमने वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने बहस मे वाद मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वादीगण को डिक्री किये जाने की इश्तदुआ की।

हमने वकील वादीगण की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया।बन्दोबस्त विभाग क्षेत्रफल तुलनात्मक के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1375/4474 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा जिसका साबिक खसरा नम्बर 782 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा बना है सम्वत 2017 के अवलोकन से साबिक आराजी 782 रकबा 2 बीघा किस्म मटयार अव्वल बारानी मे गुलजी महादेव प्रसाद बहराम श्रीराम भीवसिह कुन्दन किशोरी गणपत पुत्रान परतिया समभाग अहीर सा. देह खातेदार दर्ज राजस्व रिकाड है इसी के आधार पर तेयार जमाबन्दी सम्वत 2031 –34 मे कुन्दनलाल पुत्र परत्या अहीर सा. देह गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा हाल जमाबन्दी सम्वत 2075–78 मे वादीगण का नाम गैर खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तहसीलदार किशनगढबास से प्राप्त मौका रिपोर्ट कमाक 23 दिनांक 07.01.2022 के अनुसार मौके पर वादीगण का कब्जा काश्त है चूकी वर्तमान मे राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व ग्रुप –6 जयपुर की अधिसूचना सख्या एफ 9(15)राज–6/2005/पार्ट/32 दिनांक 24.08.2018 प्रभावी है। ग्राम हुसैनपुर नगर पालिका क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है इसलिए हम उक्त परिपत्र के अनुसार प्रचलित डी.एल.सी दर का 10प्रतिशत नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कर हकूक खातेदारी वादीगण के जारी किया जाना उचित एवं न्यायसंगत समझते है। न्याय एवं विधि का सिद्वान्त भी यही है वाद वादीगण काबिले डिक्री करार पाता है।

अतः आदेश है:–

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 1375/4474 रकबा 0.27 हे. वाके ग्राम हुसैनपुर तहसील किशनगढबास का काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व ग्रुप –6 जयपुर की अधिसूचना सख्या एफ 9(15)राज–6/2005/पार्ट/32 दिनांक 24.08.2018 के अनुसार प्रचलित डी.एल.सी. दर का 10 प्रतिशत नियमितिकरण शुल्क एंव शास्ती जमा कराने पर सनद खातेदारी वादीगण के पक्ष मे जारी करने का आदेश दिये जाते है राशि जर्ये चालान जमा होकर सनद खातेदारी जारी हो। तथा इसी कदर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गैर खातेदारी अमल को मुताबिक सनद खातेदारी किये जाने आदेश दिये जाते है तदनुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अमल हो। खर्चा वादी स्वयं वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल लेख भण्डार हो। सुनाया गया।

ओमप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर राज.

अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण , आर.ए.एस.

मु.न.
203 / 21

प्रवेश तिथि
28.12.2021

निर्णय तिथि
12.01.2022

पर्चाडिकी

उनवान

1. पोहपसिह पुत्र कुन्दनलाल जाति अहीर निवासी खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर
2. रामनिवास यादव पुत्र कुन्दनलाल
3. सुरेश कुमार यादव पुत्र कुन्दनलाल
4. रोशनी पुत्री कुन्दनलाल
5. शकुन्तला पुत्री कुन्दनलाल
6. कृष्णा पुत्री कुन्दनलाल
7. शान्ति पत्नि कुन्दनलाल जाति अहीर निवासी खैरथल तहसील किशगनढबास जिला अलवर राज.

:–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012

....

उपस्थिति :–

1.लेखराम वकील वादी की और से ।

2- प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार ।

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 1375 / 4474 रकबा 0.27 हे. वाके ग्राम हुसैनपुर तहसील किशनगढबास का काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व ग्रुप –6 जयपुर की अधिसूचना सख्या एफ 9(15)राज–6 / 2005 / पार्ट / 32 दिनांक 24.08.2018 के अनुसार प्रचलित डी.एल.सी. दर का 10 प्रतिशत नियमितिकरण शुल्क एंव शास्ती जमा कराने पर सनद खातेदारी वादीगण के पक्ष मे जारी करने का आदेश दिये जाते है राशि जर्ये चालान जमा होकर सनद खातेदारी जारी हो। तथा इसी कदर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गैर खातेदारी अमल को मुताबिक सनद खातेदारी किये जाने आदेश दिये जाते है तदनुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अमल हो।

ओमप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास

प्रारूप सख्या 6
(देखिये नियम 15(3))
सनद का प्रारूप

चूकी राजस्थान भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम 1970 तथा आवंटन आदेश निर्णित शर्तो एवं राजस्थान निष्क्रान्त कृषि भूमि का अस्थाई आवंटन नियम 1963 के संशोधित (राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 6.10.2009 एवं संशोधित परिपत्र 30.3.2012 के अधीन /नियमन की गई भूमि की खातेदारी सनद निम्न प्रकार से जारी की जाती है।

1. आवंटन/ नियमन का दिनांक व स्थान	जर्ये वाद पोहपसिंह बनाम सरकार मु.न. 203/21 निर्णय दिनांक 12.01.2022
2. खातेदार का नाम व पूर्ण पता	पोहपसिंह पुत्र कुन्दनलाल 1/7, कृष्णा पुत्री कुन्दनलाल 1/7, रामनिवास पुत्र कुन्दनलाल 1/7, रोशनी पुत्री कुन्दनलाल, शान्तिदेवी पत्नि कुन्दनलाल 1/7, शान्ति देवी पत्नि कुन्दनलाल 1/7, शकुन्तला पुत्री कुन्दनलाल 1/7, सुरेश कुमार पुत्र कुन्दनलाल 1/7 हिस्सा जाति यादव निवासी खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर
3. तहसील व जिला	तहसील किशनगढबास जिला अलवर
4. राजस्व ग्राम जंहा भूमि स्थित है।	ग्राम हुसैनपुर तहसील किशनगढबास
5. भूमि का क्षेत्रफल मय खसरा नम्बर मय किस्म	खसरा नम्बर 1375/4474/0.27 हे. वाके ग्राम हुसैनपुर तहसील किशनगढबास किस्म खातानुसार
6. लगान दर	खातानुसार
7. राशि जमा होने का चालान नम्बर मय दिनांक	जी.आर.एन. 57575416 से राशि 95862 रू. (पिच्यानवे हजार आठ सौ बासठ रूपये मात्र)मद 0075 जी.आर.एन. 57574840 से राशि 2160 रू. (दो हजार एक सौ साठ रूपये मात्र)मद 0049

नोट:- यह सनद राजस्व रिकार्ड मे दर्ज उक्त खसरा नम्बरान पर दर्ज हिस्सानुसार गैर खातेदार अंकन को खातेदार दर्ज किये जाने के लिए जारी की गई।

ओप्रकाश सहारण
उपखण्डअधिकारी
किशनगढबास

क्रमाक/सनद/2022/1593-96 दिनांक 31/01/22

प्रतिलिपि:--

1. तहसीलदार किशनगढबास को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थी का सनद के अनुसार खातेदारी नाभान्तकरण दर्ज कर नामान्तकरण दर्ज किये जाने की कार्यवाही करे।
2. पटवारी हल्का को प्रेषित कर लेख है मुताबिक सनद नामान्तरकरण दर्ज कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे।
3. प्रार्थी पोहपसिंह पुत्र कुन्दनलाल जाति यादव निवासी खैरथल तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.
4. रक्षित पत्रावली

ओमप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास